



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102024-257816
CG-DL-E-12102024-257816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4038]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4038]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4401(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' को, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित, उस निकाय को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में 'निकाय के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा

(ङ) बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 एवं 2027-2028 से संगत निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए लागू मानी जाएगी।

अनुसूची

क्रम सं. (1)	प्राधिकरण का नाम (2)	पीएन (3)
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक	AAAGC0050M
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुना नगर	AAALD1012D
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल	AAALD1000D
4	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर	AAAGC0059C
5	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी	AAAGD0044A
6	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत	AAAGD0077R
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल	AAALC0928M
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला	AAAGD0075P
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा	AAALD1006F

[अधिसूचना सं. 110 /2024/फा. सं. 300196/64/2018-आईटीए-1 (पार्ट-1)]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

S.O. 4401(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Legal Service Authority' as specified in the Schedule to this notification, constituted by Government of Haryana for every District in the State of Haryana in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Legal Services Authorities

Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), as a 'class of body' in respect of the following specified income arising to that body, namely:—

- (a) Grants received from the Punjab and Haryana High Court, Central Authority i.e. National Legal Services Authority and State Authority i.e. Haryana State Legal Services Authority for the purposes of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- (b) Grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- (c) Amount received under the order of the Court;
- (d) Fee received as recruitment application fee; and
- (e) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the District Legal Service Authority-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for assessment years 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029 relevant for financial year 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 and 2027-2028 respectively.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Authority (2)	PAN (3)
1	District Legal Service Authority, Rohtak	AAAGC0050M
2	District Legal Service Authority, Yamunanagar	AAALD1012D
3	District Legal Service Authority, Narnaul	AAALD1000D
4	District Legal Service Authority, Jhajjar	AAAGC0059C
5	District Legal Service Authority, Rewari	AAAGD0044A
6	District Legal Service Authority, Sonipat	AAAGD0077R
7	District Legal Service Authority, Kaithal	AAALC0928M
8	District Legal Service Authority, Ambala	AAAGD0075P
9	District Legal Service Authority, Sirsa	AAALD1006F

[Notification No. 110 /2024/F. No. 300196/64/2018-ITA-I (Pt.1)]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)